(1)

Day-II (H)
Date: 8/03/202[illegible]

संविधानवाद
(Constitutionalism)

* परिचय :
* संविधानवाद का अर्थ
* संविधान व संविधानवाद में अन्तर
* ~~[illegible]~~
* संविधानवाद की विशेषताएं
* संविधानवाद और ब्रिटेन
* संविधानवाद और USA
* संविधानवाद और स्विटजरलैण्ड
* निष्कर्ष

Girijesh Singh
Asst. Professor
Dept. Political Science
R.N. College, Pandaul
Madhubani
Class: Day II (H)
Paper - IX
Topics: संविधानवाद
extra classes

परिचय : संविधानवाद उन विचारों व सिद्धान्तों की ओर संकेत करता है जो उस संविधान का विवरण व समर्थन करते हैं, जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके। यह संविधान पर आधारित विचारधारा है जिसका एक अर्थ यह है कि शासन संविधान में लिखित नियमों व विधियों के अनुसार ही संचालित हो और उसपर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित रहे जिससे मूल्य व आदर्श सुरक्षित रहे

संविधानवाद का अर्थ : चूंकि संविधान शासन सत्ता को परिभाषित और सीमित करता है, अत: यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिकारवादी राज्यों में संविधानवाद नहीं होता। जहाँ अपनी सुविधा के अनुसार संविधान को प्रायः बनाया और बिगाड़ा जाता है, कभी उनमें परिवर्तन किया जाता है तो कभी संविधान को उन्मूलन ही कर दिया जाता है।

अत: संविधानवाद संविधान के निर्देशों के अनुसार शासन संचालन से अभिप्रेत है। इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियन्त्रित शासन। कोरी एवं अब्राहम के अनुसार, "स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है।"

कार्टर व हर्ज के अनुसार, "मौलिक अधिकार तथा उनके न्यायालय द्वारा प्रत्येक संविधानवाद की अनिवार्य और सामान्य विशेषता है।"

संक्षेप में, संविधानवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों और आदर्शों को परिलक्षित करनेवाले संविधान के नियमों और सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है तथा ऐसे संविधान के माध्यम से ही शासकों को प्रतिबन्धित और सीमित रखा जाता है जिससे राजनीतिक व्यवस्था के मूल आदर्श सुरक्षित रहे और व्यवहार में हर व्यक्ति प्राप्त कर सके।

संविधान व संविधानवाद में अन्तर
(Difference between Constitution & Constitutionalism)

सामान्यतः संविधान और संविधानवाद को पर्यायवाची माना जाता है लेकिन दोनों में काफी अन्तर है।

(i) संविधान संगठन का प्रतीक है जबकि संविधानवाद विचारधारा का। संविधान में सरकार, व्यक्ति और सामाजिक संगठनों के सम्बन्धों का वर्णन होता है। दूसरी ओर संविधानवाद में देश के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श होते हैं जिनसे विशिष्ट विचारधारा बनती है और इस विचारधारा का प्रतीक संविधानवाद कहलाता है।

Oxford

(ii) संविधान प्रायः विभिन्न होते हैं। इसकी और संविधानवाद हमेशा विकास का परिणाम रहा है। मूल्यों और आस्थाओं का यह विकास परम्पराओं, संस्थाओं और व्यक्ति संबंधी तत्वों में विश्वास के कारण होता रहता है।

(iii) प्रायः हर समाज का एक लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति की व्यवस्था ही संविधानवाद है। संविधान साधनयुक्त होते हैं जबकि संविधानवाद साध्ययुक्त।

(iv) संविधानवाद अनेक देशों के एक जैसे हो सकता है। संस्कृति, मूल्य विश्वास और राजनीतिक आदर्श एक जैसे हो सकते हैं। संविधान-वाद की समानता के बावजूद हर देश का संविधान अलग-अलग होता है।

(v) संविधान का औचित्य विधि के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है जबकि संविधानवाद के आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन मुख्यतः विचारधारा पर होता है।

संविधानवाद के विशेषताएं
(characteristics of constitutionalism)

संविधानवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

① संविधानवाद मूल्य सम्बद्ध अवधारणा है : संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से है। यह उन मूल्यों, विश्वासों व राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय हैं, जो हर राष्ट्र का जीवन आधार होते हैं।

② संविधानवाद संस्कृति सम्बद्ध अवधारणा है : संविधानवाद की धारणा हर जगह व स्थान विशेष की संस्कृति से सम्बद्ध पायी जाती है। हर देश के आदर्श, मूल्य व विचारधाराएं उस देश की संस्कृति की ही अंग होते हैं।

③ संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है : संविधानवाद की विशेषता यह है कि इसमें स्थायित्व के साथ ही साथ गत्यात्मकता भी पायी जाती है। यही कारण है कि यह प्रगति में बाधक नहीं, प्रगति का साधक बना रहता है। इसकी गतिशील प्रकृति अति आवश्यक है, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में परिवर्तन आता है तथा संस्कृति विकसित होती है।

④ संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है : संविधानवाद मूलतः साध्यों से संबंधित अवधारणा है, किन्तु यह साधनों की पूर्णतया अवहेलना नहीं कर सकता। फिर भी संविधानवाद मूलतः लक्ष्यों का ही द्योतक है। इस प्रकार जब संविधानवाद साध्य-प्रधान अवधारणा है तो इसका अर्थ उन आदर्शों से है जिन्हें समाज-साध्य के रूप में स्वीकार करता है।

⑤ संविधानवाद संविधान पर आधारित : सामान्य परिस्थितियों में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज के मूल्यों और आदर्शों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित रहता है।

संविधानवाद और ब्रिटेन
(Constitutionalism and Britain)

ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। इसका निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया वरन राजनीतिक चेतना की वृद्धि के साथ-साथ इसका विकास हुआ। ब्रिटिश संविधान का धीरे-धीरे अबाध गति से विकास हुआ है। इसकी जड़ें अतीत के सुदूर इतिहास में जमी हुई हैं। उसके विकास की गाथा यही है कि निरंकुश राजतंत्र को शान्तिपूर्ण ढंग से संवैधानिक राजतंत्र के रूप में रूपान्तरित कर दिया गया है। ऑग तथा जिंक ने लिखा है कि "इंग्लैण्ड की राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के प्रस्थान-बिन्दु राष्ट्रीय इतिहास उस राजमार्ग पर बिखरे हुए हैं जो भूतकाल में 1300 या 1400 वर्ष तक की लम्बाई में फैला हुआ है।" शान्तिपूर्ण विकास ब्रिटिश संविधान की एक अनूठी विशेषता है। उसमें आकस्मिक परिवर्तन नहीं हुए हैं बल्कि उसका वर्तमान ढाँचा भूत की नींव पर खड़ा हो रहा है।

ब्रिटिश संविधान विभिन्न कालों का परिणाम रहा है - ऐंग्लो सैक्सन काल, नार्मन काल, प्लैंटाजिनेट वंशों का काल, ट्यूडर काल, स्टुअर्ट काल और हैनोवर काल। सभी कालों में क्रमिक रूप से संविधान का विकास हुआ। राजपद का प्रादुर्भाव, स्थानीय स्वशासन, महान अधिकार-पत्र, संसद का उदय, उत्तराधिकार अधिनियम और राजनीतिक दलों का उदय आदि संविधान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

संविधानवाद और संयुक्त राज्य अमेरिका

अमरीकी संविधान के विकास पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक जीवन की परम्पराओं तथा आर्थिक, राजनीतिक तत्वों का गंभीर प्रभाव पड़ा है। विदेशी आक्रमणों से अमरीका सदा सुरक्षित रहा, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता से आर्थिक समृद्धि आयी तथा विशाल जनसमूहों के कारण स्वायत्तता की दृष्टि से वह आत्म निर्भर बन गया। इससे राजनीतिक स्थिरता आयी और शासन विधान का अबाध गति से विकास होता गया। बर्न्स तथा पेल्टासन ने लिखा है, "हमारी जनसरकार पिछली शताब्दियों के विभिन्न प्रयोगों का परिणाम है जो मानव के वैभव एवं उसके विकास में विश्वास करती है।"

सन् 1492 में कोलम्बस ने अमरीका के पश्चिमी तट का अन्वेषण किया। उन दिनों वहाँ भारतीय आदिम-जातियों का निवास था। इंग्लैण्ड व यूरोप के देशों से लोग वहाँ आकर बसने लगे और अलग-अलग उपनिवेशों का निर्माण करने लगे। सन् 1690 में अमरीका की जनसंख्या 2 1/2 लाख से बढ़कर सन् 1775 में 25 लाख हो गई।

अमरीका में एक नयी वर्णसंकर संस्कृति का उदय हुआ। अमरीका कई संस्कृतियों का संगम-स्थल बन गया।

यूरोप के विभिन्न देशों के लोग अपने साथ अपनी-अपनी भाषा, रीति-रिवाज, संस्कृति तथा परम्परा भी ले गये जिससे इंग्लैण्ड और यूरोप की संस्कृति का मेल हुआ

वे अनिरोध अधिकार-पत्र प्राप्त, उपनिवेशों द्वारा बनाये गये थे। वे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे। वे इंग्लैण्ड की विधियों के प्रतिकूल विधि निर्माण नहीं कर सकते थे। प्रत्येक गवर्नर को अनुमोदन लेना था, जिसे सम्राट स्वीकृति प्रदान करता था

उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए फिलाडेल्फिया नगर में सम्मेलन हुआ जिसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहा जाता है। 1775 में दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस में इंग्लैण्ड के खिलाफ युद्ध का प्रस्ताव पेश किया तथा वाशिंगटन को सर्वोच्च सेनापति नियुक्त कर दिया गया। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए लड़े और 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की उद्घोषणा की गई

नवम्बर 1777 में महाद्वीपीय कांग्रेस ने राज्यमंडल की निर्माण संबंधी धाराओं को स्वीकार कर लिया और उसके बाद राज्यों ने भी उसकी पुष्टि कर दी। इस प्रकार अमरीका के संयुक्त राज्यों के प्रथम लिखित संविधान का निर्माण हुआ। आज भी अमरीका में राज्यों की संख्या 13 से बढ़कर 50 हो गई है।

संविधानवाद और ~~की~~ स्विट्ज़रलैण्ड

वर्तमान में स्विट्ज़रलैण्ड ~~की~~ के निर्माण की प्रक्रिया और स्विट्ज़रलैण्ड के संवैधानिक विकास का प्रारंभ 1291 से हुआ जबकि उरी, श्वीज और अण्डरवाल्डेन द्वारा आत्मरक्षा हेतु एक एकमंडल ~~(संघ)~~ (League) की स्थापना की गई। इससे पूर्व स्विट्ज़रलैण्ड के क्षेत्र में अलग-अलग कैण्टन थे और उनके बीच कोई एकीकृत सत्ता नहीं थी। इसके पूर्व ये कैण्टन आस्ट्रिया के शासकों के अधीन था। 1291 में तीन कैण्टनों ने हैप्सबर्ग शासक से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए एक राज्यमंडल की स्थापना की। हैप्सबर्ग शासक ने तीन कैण्टनों को जीतने का प्रयत्न किया लेकिन कैण्टन भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सफल रहे। इससे प्रोत्साहित होकर अन्य कैण्टन भी राज्यमंडल की ओर प्रवृत्त हुए और 1353 में तक राज्यमंडल में 8 कैण्टन शामिल हो गये। 1648 तक इस राज्यमंडल में 13 कैण्टन शामिल हो गये जो सभी जर्मन भाषी थे। राज्यमंडल के सदस्यों में भी निरन्तर वृद्धि हुई और 1648 की वेस्टफेलिया की संधि में इसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

निष्कर्ष (संविधानवाद का भविष्य): संविधानवाद के विकास में अनेक उतार चढ़ाव आये हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के तुरन्त बाद राजनीतिक संविधानवाद का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता था। किन्तु इटली में फासीवाद और जर्मनी में नाजीवाद के उदय होने ने हमारी आशा को धूमिल कर दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद साम्यवाद और सैनिकवाद का जो गति से एशिया और अफ्रीका में प्रसार हुआ उससे संविधानवाद का भविष्य गहरे खतरे से ढका प्रतीत हो रहा है।

— 1 —